न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –17/2015

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स
1. सुगनाराम पुत्र भैरूराम 2. जयराम पुत्र भैरूराम 3. सीताराम पुत्र भैरूराम जातियान जाट निवासीगण निम्बडी चांदावता तहसील डेगाना		1. तहसीलदार डेगाना 2. नायब तहसीलदार डेगाना 3. बुधाराम पुत्र भैरूराम जाति जाट निवासी निम्बडी चांदावता तहसील डेगाना जिला नागौर 4. बिदामी पुत्री भैरूराम जाति जाट निवासी निम्बडी चांदावता तहसील डेगाना जिला नागौर 5. भंवरूराम पुत्र भगवानराम 6. प्रेमाराम पुत्र भगवानराम 7. भंवरीदेवी बेवा भगवानराम जातियान जाट निवासीगण निम्बडी चांदावता तहसील डेगाना जिला नागौर

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट्स की ओर से वकील श्री धर्माराम खुड़खुडिया
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से वकील श्री निम्बाराम काला।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 7 की ओर से वकील श्री रामदेव निम्बड़।

निर्णय दिनांक 11-11-2019

अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 विरूद्ध बंटवाडा आदेश तहसीलदार डेगाना के आदेश संख्या 283 दिनांक 26.02.1971 जिसके जरिये पटवारी हल्का निम्बडी चांदावता द्वारा नामान्तरकरण संख्या 139 ग्राम निम्बडी चांदावता प्रस्तावित किया एंव विद्वान नायब तहसीलदार डेगाना द्वारा पृष्ठांकन दिनांक 08.07.1971 व दिनांक 04.08.1971 को स्वीकृत का अंकन किया से असंतुष्ट होकर दिनांक 16.01.2015 को प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्टस् ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण /अपीलांटान को नामान्तरकरण संख्या 139 अथवा आदेश संख्या 283 दिनांक 26.02.1971 बाबत दिनांक 04.12.2014 से पूर्व जानकारी नहीं थी। सर्वप्रथम नामान्तरकरण की नकल अपीलांट सुगनाराम को प्राप्त हुई तत्पश्चात् सुगनाराम ने डेगाना में अधिवक्ता से सम्पर्क किया उन्होने कागज अपने पास रख लिये व अपील कर देने का आश्वासन दिया, तत्पश्चात् अधिवक्ता से एक माह बाद पुनः जाकर सम्पर्क करने पर अधिवक्ता ने बताया कि बंटवाडे का आदेश तहसीलदार डेगानां का है जिसकी अपील नागौर होगी जिस पर अपीलांट तुरन्त ही नागौर आया व दिनांक 16.01.2015 को अपील तैयार करवा कर पेश की। दिनांक 16.01.2015 से पूर्व दिनांक 04.02.2014 तक की अवधि अनुचित कानूनी राय से व दिनांक 4.12.2014 से पूर्व दिनांक 26.02.1971 के बीच की अवधि जानकारी के अभाव में अपील की मियाद से अलग कर अपील अन्दर मियाद शुमार करने योग्य है। साथ ही आदेश जैर अपील बंटवाडा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित करने से समय सीमा के पश्चात् आदेश जैर अपील को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सामानान्तर न्यायालय से प्राप्त है। अपील अन्दर मियाद शुमार करना न्यायोचित है का कथन करते हुए उपरोक्त परिस्थितियों के मध्य नजर अपील पेश करने में हुई देरी को माफ करते हुए अपील अपीलांटान अन्दर मियाद शुमार करने का आदेश फरमाने का निवेदन किया।

वकील रेस्पोडेन्ट श्री निम्बाराम काला ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ बहस में कथन किया कि म्यूटेशन संख्या 139 दिनांक 4.8.1971 के विरूद्ध अपील 44 वर्ष पश्चात पेश की है।

कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

एक राजस्व वाद संख्या 97/2000 जयराम बनाम भंवरलाल न्यायालय सहायक कलक्टर डेगाना में खसरा नम्बर 1233 निम्बड़ी चांदावता का चला जिसका 17.01.2001 को निर्णय हुआ जिसमें अपीलान्ट जयराम वादी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 5 भंवरूराम, 6 प्रेमाराम व 7 भंवरीदेवी प्रतिवादी पक्षकार रहे है। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट्स को राजस्व रेकर्ड व नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 04.12.2014 से पूर्व भली भांती थी। इसके अलावा खसरा नम्बर 1233 व 1235 स्व0 भैरूराम व अन्य के नाम दर्ज थी। भैरूराम का स्वर्गवास सन् 1992 में होने के पश्चात भैरूराम के वारिसान व गोकुलराम के गोद पुत्र भगवानाराम के नाम दर्ज हो गये लेकिन अपीलान्ट संख्या 2 जयराम पुत्र भैरूराम के बंट में खसरा नम्बर 1233 व 1235 मौजा निम्बडी चांदावता होने के कारण दिनांक 28.4.2000 को उप पंजीयक सांजू में एक हकतर्कनामा रेस्पोडेन्ट संख्या–3 बुधाराम व अपीलान्ट संख्या–1 सुगनाराम, 3 सीताराम ने अपीलान्ट संख्या 2 जयराम के पक्ष में पंजीबद्ध करवाया और उनको राजस्व रेकर्ड की अपीलान्ट को दिनांक 04.12.2014 से पूर्व भली भांती जानकारी रहती चली आई है। खसरा नम्बर 1090 व 1096 में ट्यूबवेले जो 13 वर्ष पुरानी है, जिनके विद्युत कनेक्शन रेस्पोडेन्ट संख्या 3 बुधाराम व छोटूराम (खातेदार) के नाम से जारी हो रखे है, जिससे भी अपीलान्ट्स् को राजस्व रिकार्ड की अपीलान्ट को दिनांक 04.12.2014 से पूर्व जानकारी होने का कथन करते हुऐ प्रार्थी का मयाद आवेदन खारिज करने का निवेदन किया है। वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.टी. 2007(2) पेज 939 न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

प्रकरण में वकील रेस्पोडेन्ट श्री निम्बाराम काला द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से स्पष्ट है कि म्यूटेशन जैर अपील में वर्णित भूमि के संबंध में पक्षकारान के मध्य लिटिगेशन वर्ष 2000 में चला है तथा हकतर्कनामा भी निष्पादित हुआ है। परन्तु उक्त लिटिगेशन, हकतर्कनामा आदि नामान्तरकरण संख्या 139 में वर्णित वादग्रस्त खसरे से संबंधित नहीं है, ऐसे में यह पूर्णतया स्पष्ट नहीं माना जा सकता है कि प्रार्थीगण/अपीलांटान को नामान्तरकरण संख्या 139 अथवा आदेश संख्या 283 दिनांक 26.02.1971 बाबत दिनांक 04.12.2014 से पूर्व जानकारी रही थी। इसके अलावा वकील रेस्पोडेन्ट ने ऐसी कोई ठोस तथ्य प्रकट नहीं किया है, जिससे यह पूर्णतया स्पष्ट साबित हो कि प्रार्थीगण/अपीलांटान को नामान्तरकरण संख्या 139 अथवा आदेश संख्या 283 दिनांक 26.02.1971 बाबत दिनांक 04.12.2014 से पूर्व जानकारी थी। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2007(2) पेज 939 का ससम्मान अवलोकन किया, जो हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में हूबहू चस्पा नहीं होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अधीन धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। उभय पक्ष वकुलाय की अपील पर बहस अंतिम सुनी गई।

वकील अपीलाण्ट्स ने अपील में किये गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट के पिता भैरूराम पुत्र रामूराम के अकेले के कब्जे काश्त व खातेदारी के पुश्तेनी खसरा नम्बर 1090, 1096, 1235, 1241, 1136, 684 एंव खसरा नम्बर 694 वाके सरहद निम्बडी चांदावता के कब्जे काश्त खातेदारी के रहते आये। स्व. भैरूराम के जांयदा पुत्र रेस्पोडेन्ट भंवरूराम, प्रेमाराम व भंवरीदेवी के पिता व पति भगवानाराम, अपीलांटान जयराम, सीताराम व सुगनाराम व रेस्पोडेन्ट बिदामी हुए जिनमें से सबसे बडे पुत्र भगवानाराम, भैरूराम के सगे भाई गोकलराम के गौद चले गये व गोकलराम पुत्र रामूराम के वारीस होकर फौत हो गये जिनके वारीसान रेस्पोडेन्ट भंवरूराम, प्रेमाराम, भंवरीदेवी इत्यादि है। शेष पुत्रगण अपीलांटान के सहखातेदार हुऐ, रहे थे व है। स्व. भैरूराम का देहान्त सन 1992 में हुआ एंव स्व. भैरूराम हिन्दू विधि से गर्वन होने वाले व्यक्ति थे व पक्षकारान भी हिन्दू धर्म से गर्वन होने वाले व्यक्ति है।

रेस्पोडेन्ट बुधाराम परिवार के कामकाज के लिए ध्यान रखने वाले रहे है व अपीलांटान तमाम रेस्पोडेन्ट बुधाराम पर ही भरोसा व विश्वास करते रहे। रेस्पोडेन्ट बुधाराम ने अपीलांट्स व अन्य परिवारजनों के विश्वास का नाजायज फायदा उठाने की बदनियति रखते हुए रेस्पोडेन्ट ने बाला बाला ही बिना अपीलांट व अपीलांट के पिता को बताये नाजायज रूप से खातेदारी का खेत हडपने के लिए एक कूटरचित इकरारनामा तैयार किया व इकरारनामा के आधार पर रेस्पोडेन्ट तहसीलदार डेगाना को बंटवाडे का आवेदन पेश कर अदालत तहसील डेगाना से स्व. भैरूराम के जीवनकाल में गैर कानूनी रूप से बंटवाडे के आदेश संख्या 283 दिनांक 26.02.1971 जारी करवाया व उसके आधार पर पटवारी हल्का व नायब तहसीलदार एंव तहसीलदार को प्रभाव में लेकर नामान्तरकरण संख्या 139 के कॉलम संख्या 14 में तहसीलदार के आदेश व तारीख का उल्लेख कर बंटवाडे का नामान्तरकरण कर खसरा नम्बर 1096 रकबा 58 बीघा 9 बिस्वा का अकेले रेस्पोडेन्ट बुधाराम के नाम से प्रस्तावित व स्वीकृत करवा कर चुपके–चुपके राजस्व खतौनियों में भी इन्द्राज करवा लिया जिसकी जानकारी अपीलांट्स को नहीं दी व उक्त तथ्य की जानकारी अपीलांट्स को नकल प्राप्त करने पर दिनांक 4.12.2014 को प्रथम बार हुई तथा अन्य नकले प्राप्त करने पर अपीलांटान को यह भी पता चला कि स्व. भैरूराम के पुश्तेनी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1090 के रकबा 17 बीघा 7 बिस्वा की खातेदारी का भी बिना अधिकार, नूमाईशी

Scanned by CamScanner

व बिना विक्रय व क्रय के इकरार एंव अनुबंध हुऐ, विक्रय लेखपत्र रेस्पोडेन्ट बुधाराम व बुधाराम के रिश्तेदार छोटूराम पुत्र डावरराम व मुन्नीदेवी के हक में बहुत पहले करवा लिया व इस तथ्य की जानकारी अपीलांट्स को होने पर यह अपील पेश की गई है।

आदेश बंटवाडा जैर अपील अदालत मातहत द्वारा धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के विपरीत, अनुचित, बिना अधिकार, बिना क्षेत्राधिकार व न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पारित करने में त्रुटि की है, जिससे अपील अपीलांट्स समयावधि के बाद भी अपील क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए अपील स्वीकार की जाकर आदेश बंटवाडा तहसीलदार डेगाना आदेश संख्या 283 दिनांक 26.2.1971 निरस्त किये जाने योग्य है, अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है। तहसीलदार डेगाना के समक्ष विचारणीय बिन्दू यह था कि आया खसरा नम्बर 1096 व अन्य खसरान जो भैरूराम पुत्र रामूराम की खातेदारी के दर्ज है एंव रेस्पोडेन्ट बुधाराम सहखातेदार के रूप में दर्ज खातेदार नहीं है ऐसी स्थिति में बुधाराम पुत्र भैरूराम बंटवाडे के जरिये खातेदारी पाने का अधिकारी है अथवा नहीं ? मगर इस बाबत आवश्यक पक्षकारों की विधिनुसार सहमति हुए बिना ही आदेश बंटवाडा करते हुए भैरूराम के कुल पांच वारीस सहित स्वंय भैरूराम सहित 6 सहखातेदार कानूनन होकर राजस्व रेकर्ड में नहीं होते हुए भी आदेश जैर अपील पारित करते हुए एक साथ व एकमुश्त बिना अधिकारी होते हुए भी 58 बीघा 9 बिस्वा की खातेदारी अकेले रेस्पोडेन्ट के नाम करने में त्रुटि की है।

स्व. भैरूराम के जीवनकाल में रेस्पोडेन्ट बुधाराम कतेई बंटवाडे का अधिकारी सहखातेदारी घोषित करवा कर राजस्व रेकर्ड में सहखातेदारी इन्द्राज करवाये बिना कतेई अधिकारी न था न रहा न है। मगर अदालत मातहत द्वारा सम्पूर्ण सहखातेदारी रकबा 119 बीघा 12 बिस्वा के 1/5 भाग के अधिकारी को अत्यधिक भूमि बंटवाडे की होना निर्णित करते हुए आदेश देने में त्रुटि की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार सहमति अनुचित रूप से मानते हुए आदेश जैर अपील पारित किया है व आदेश करने से पूर्व स्व. भैरूराम व अपीलांटान व रेस्पोडेन्ट बिदामी को सुनवाई का अवसर दिये बिना मनमर्जी से गैर कानूनी आदेश पारित किया है। क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर, विधि विरूद्ध व त्रुटिपूर्वक आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्टान भंवरूराम, प्रेमाराम व भंवरीदेवी के पिता व पति भगवानाराम का गोकल पुत्र रामूराम के गोद चले जाने का अभिवचन व तथ्य अपील में दर्ज करने से उक्त रेस्पोडेन्ट अपील में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार रेस्पोडेन्ट दर्ज कर यह अपील पेश करने का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने मूल अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब कर अपील अपीलांट स्वीकार की करने एंव आदेश जैर अपील को निरस्त कर न्यायोचित आज्ञा बहक अपीलांट्स खिलाफ रेस्पोडेन्ट्स पारित करने एवं राजस्व रेकर्ड के इन्द्राज पूर्व अनुसार बहाल किये जाने का निवेदन किया है।

वकील रेस्पोडेन्ट श्री रामदेव निम्बड़ ने रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 7 की ओर से बहस अपील अपीलान्ट स्वीकार करने पर रेस्पोडेन्टस् को कोई आपत्ति नहीं होने का कथन किया।

वकील रेस्पोडेन्ट श्री निम्बाराम काला ने रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से बहस में कथन किया कि अपीलान्टस् द्वारा यह अपील केवल मात्र रेस्पोडेन्ट सं. 3 बुधाराम ने उपखण्ड अधिकारी डेगाना के समक्ष अपीलान्ट संख्या 1 से 3 सहित अन्य के विरूद्ध धारा 188 राज0 टि0 एक्ट के तहत वाद पेश कर अपने बंट कब्जा काश्त की भूमि में दखलन्दाजी नहीं करने से रूकवाने का निवेदन किया जिससे नाराज होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 पर झूठा दबाव बनाने व उसे नाजायज तंग व परेशान करके बिना किसी आधार के सन् 1971 में हुऐ नामान्तरकरण को सन् 2015 में चुनौती दी गई है। अपीलान्ट 1 से 3 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 सगे भाई है जो स्व0 भैरूराम के वारिसान है। रेस्पोडेन्ट संख्या 5,6 व 7 को प्रकरण हाजा में अनावश्यक पक्षकार बनाया क्योंकि स्व0 भैरूराम के बड़े पुत्र भगवानराम, भैरूराम के बड़े भाई गोकुलराम के गोद चले गये थे, इसलिए वे भैरूराम के वारीस नहीं रहे है। अपीलान्ट ने तहसीलदार डेगाना द्वारा पारित बंटवाड़ा आदेश संख्या 283 दिनांक 26.02.1971 के आधार पर हुए तहसीलदार डेगाना द्वारा नामान्तरकरण संख्या 139 ग्राम निम्बड़ी चांदावता दिनांक 08.07.1971 व स्वीकृति दिनांक 04.08.1971 के विरूद्ध यह गलत अपील पेश की है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार के आदेश संख्या 283 दिनांक 26.02.1971 के अनुसार अलग–अलग बंटवाड़े का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 139 भरा गया से नायब तहसीलदार डेगाना द्वारा 1971 में विधि अनुसार सही पाये जाने पर स्वीकार किया गया है। उक्त नामान्तकरण संख्या 139 से स्पष्ट है कि बंटवाड़ा विधि अनुसार किया गया था, जिसे अब करीब 44 वर्ष पश्चात निरस्त किया जाना कतई न्यायसंगत नहीं है। गलत तरीके से बंटवाड़ा हुआ है तो उसे साबित करने का भार अपीलान्ट पर ही है, परन्तु अपीलान्ट ने उक्त बंटवाड़ा गलत होने के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य पेश नही की है, का कथन करते हुऐ वकील रेस्पोडेन्ट श्री निम्बाराम काला ने अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में बंटवाड़ा निरस्त करने के संबंध में अपने अपील में किये गये

कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

कथनों के अतिरिक्त ऐसी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जिससे की अब 44 वर्ष पश्चात उक्त बंटवाड़ा को निरस्त किया जा सके। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने का कथन करते हुऐ अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में ग्राम निम्बड़ी चांदावता के नामान्तकरण संख्या 139 स्वीकृत जो तहसीलदार के आदेश संख्या 283 दिनांक 26.02.1971 के अनुसार अलग–अलग बंटवाड़े का पटवारी निम्बड़ी चांदावता द्वारा भरा जाकर स्वीकृति हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक को पेश किया जिस पर भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा जमाबन्दी से तुलना की गई, अंकन सही है, की रिपोर्ट करने पर नायब तहसीलदार डेगाना द्वारा दिनांक 04.08.1971 को माफिक इकरारनामा स्वीकृत किया गया है। उक्त नामान्तकरण संख्या 139 की प्रति वकील अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत कर वकील अपीलान्ट ने हस्तगत अपील के माध्यम से उक्त नामान्तकरण संख्या 139 में वर्णित तहसीलदार के बंटवाड़ा आदेश संख्या 283/ दिनांक 26.02.1971 को निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

वकील अपीलान्ट द्वारा उक्त बंटवाड़ा आदेश संख्या 283/ दिनांक 26.02.1971 की प्रमाणित प्रति अपील के साथ प्रस्तुत नहीं की, न ही वकील रेस्पोडेन्ट श्री निम्बाराम काला द्वारा उक्त आदेश की प्रति न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है। अपीलान्ट द्वारा कथन किया गया कि उन्हे उक्त आदेश संख्या 283/दिनांक 26.02.1971 की प्रति बार–बार तहसील में चक्कर लगाने के बाद भी प्राप्त नहीं हुई है। न्यायालय हाजा द्वारा भी तहसीलदार डेगाना को उक्त मूल बंटवाड़ा आदेश संख्या 283/दिनांक 26.02.1971 इस कार्यालय को भिजवाने हेतु बार–बार लिखे जाने पर तहसीलदार डेगाना द्वारा उक्त मूल बंटवाड़ा आदेश उनके कार्यालय में नहीं मिलना अवगत कराया। उक्त मूल बंटवाड़ा आदेश एवं रिकार्ड के अभाव में बंटवाड़ा की वैद्यता आदि पर कोई टिप्पणी अथवा आदेश किया जाना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त उक्त बंटवाड़ा आदेश के विरूद्ध यह अपील भी अपीलान्टस् द्वारा 44 वर्ष पश्चात पेश कर उक्त बंटवाड़ा आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों में बिना मूल रिकार्ड का अवलोकन किये, केवल मात्र उक्त बंटवाड़ा को निरस्त करने के संबंध में वकील अपीलान्ट द्वारा किये गये कथनों मात्र के आधार पर 44 वर्ष पश्चात उक्त बंटवाड़ा का आदेश निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अपीलान्टस् ने तहसीलदार का उक्त आदेश संख्या–283/दिनांक 26.02.1971 अस्तित्व में होने बाबत नामान्तरकरण संख्या 139 की प्रति पेश की है, जिसमें नायब तहसीलदार डेगाना द्वारा नामान्तकरण स्वीकृत करने बाबत इबारत लिखी है, जिसमें लिखा है कि माफिक इकरारनामा नामान्तकरण स्वीकृत है। ऐसी दशा में उक्त नामान्तरकरण संख्या 139 से यह जाहिर नहीं होता है कि तहसीलदार ने बंटवाड़े के संबंध में धारा 53 आर.टी.एक्ट के तहत ही उक्त आदेश संख्या 283/दिनांक 26.02.1971 दिया है, क्योकि नामान्तकरण नायब तहसीलदार डेगाना द्वारा इकरारनामें के आधार पर स्वीकृत किया है। इकरारनामा की वैधता आदि पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है। उक्त तथ्यों से उक्त बंटवाड़ा आदेश संख्या 283/दिनांक 26.02.1971 का अस्तिव में होना संदिग्ध है। इसके अलावा तहसीलदार डेगाना से बार–बार तलब करने पर भी उक्त मूल बंटवाड़ा आदेश संख्या 283/दिनांक 26.02.1971 न्यायालय हाजा को प्राप्त नहीं हुआ है। वकील अपीलान्ट द्वारा भी उक्त बंटवाड़ा आदेश की प्रति अपील के साथ पेश नहीं की गई है, जबकि अपीलान्ट द्वारा जिस किसी भी आदेश को अपील के माध्यम से किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जाती है, तो अपीलान्ट को ऐसे आदेश की प्रमाणित प्रति अपील के साथ न्यायालय में पेश करना आवश्यक है। इस प्रकार उपरोक्तानुसार तथ्यों के आधार पर भी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार डेगाना को मूल रिकार्ड लौटाते हुऐ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2019.11.22 16:01:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: